पत्रांक–भवन / मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–84 / 2022......317(अ)....... / पटना, दिनांक– ....12|1|26

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– Renovation of residential shed and office in the campus of Residence No.-31/10 at Nehru Path, Patna हेतु कुल **₹13,75,500/–(तेरह लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ रूपये)**मात्र का वित्तीय वर्ष **2025–26** में प्रशासनिक स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का पत्रांक–3918, दिनांक–05.07.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल **₹13,75,500/–(तेरह लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ रूपये)**मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0001–अनुरक्षण और मरम्मत मतदेय–विपत्र कोड–**03–2059800530001** के विषयशीर्ष–27–लघुकार्य–0001.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत" के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष **2025–26** में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष **2025–26** में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरांत हीं राशि की निकासी की जा सकेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना** होंगे।

5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेन्सी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।

6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं0सं0–भ0 / मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–84 / 22 के पृष्ठ–15 / टि0 पर दिनांक–**24.09.2025** को प्रदान की गयी है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. प्रारूप पर आन्तारिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–भ0 / मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–84 / 22 के पृष्ठ–23 / टि0 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7355 (वि0)(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 317(अ) दिनांक– 12|1|26

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 317(अ) दिनांक– 12|1|26

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता(पटना)/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक–1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव